न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र संख्या 1/2021

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14(4) भू राज0 अधिनियम

निर्णय दिनाक 02.03.2022

आम जनता शंकर पुरा जरिये

1 रामचन्द्र पुत्र जयदेव जाति जाट

2 सूरजकरण पुत्र श्योनारायण जाति जाट

3 रामनारायण पुत्र कल्याण जाति जाट

4 हरि नारायण पुत्र श्योनारायण जाति जाट समस्त निवासीयान गॉव शंकरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज0

– प्रार्थीगण

बनाम

1 छीतर पुत्र किशना जाति बागरिया निवासी ग्राम शंकरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर

2 छीतर पुत्र रणजीता जाति बागरिया शंकरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर

3 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज0

– अप्रार्थीगण

उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता हनुमान सिहांग

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)भू आवटंन अधिनियम 1970 विरूद्व आज्ञा आवटंन सलाहकार समिति दिनांक 12.09.1978 मिसल संख्या 1569/78 द्वारा ग्राम शंकरपुरा की भूमि खसरा संख्या 444 रकबा 3 बीघा के आवटंन के विरूद्व ।

निर्णय

प्रार्थीगण की और सें प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) भू आवंटन अधिनियम 1970 निम्नप्रकार प्रस्तुत कर निवेदन है किः–

1 यह कि वाके ग्राम शंकरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज0 स्थित आराजी खसरा संख्या 444 रकबा 3 बीघा स्थित है जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है। जिसको अप्रार्थी संख्या 2 छीतर पुत्र रणजीता ने अपने आपको छीतर पुत्र किशना बताकर धोखे व कपट पूर्वक आवटंन कमेंटी के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पिता की बल्दियत बदलकर फर्जी तरीके से आवटंन करवा लिया जबकि ग्राम शंकरपुरा मे छीतर पुत्र किशना बागरिया नाम को कोई व्यक्ति नही हैं।

अति... जिला कलक्टर
दूदू

2. यह कि आंवटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 छीतर पुत्र किशना नाम कोई व्यक्ति ही नही है तो उसका कब्जा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है एंव ना ही अप्रार्थी संख्या 2 का कभी भी उक्त आराजी पर कब्जा नही रहा । इसलिये भी उक्त आवटंन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

3 यह कि अप्रार्थी संख्या 2 ने फर्जी तरीके से तथ्य छिपाते हुऐ अपने आपको छीतर पुत्र किशना बताते हुऐ व भूमिहीन व्यक्ति बताकर धोखे से व कपट पूर्वक आवंटन करवाया है जो कानूनन गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि अप्रार्थी संख्या 2 भूमिहीन व्यक्ति नही था। अप्रार्थी संख्या 2 आवंटन के समय भूमिहीन व्यक्ति नही था। उसके पास ग्राम पिनाज में आराजी खसरा संख्या 834/1 रकबा 15 बीधा अप्रार्थी संख्या 2 व उसके भाई रामकरण छीतर पुत्र रणजीता के नाम से 15 बीघा भूमि है। उक्त आंवटन दिनांक 12.09.1978 की दिनांक को ही अप्रार्थी संख्या 2 के पिता रणजीता पुत्र हरजी बागरिया के नाम से ग्राम शंकरपुरा में खसरा संख्या 393 रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 ने आवंटन कमेटी के समक्ष धोखे व मिथ्या तथ्य पेशकर अपने पिता की बल्दियत बदलकर राजकीय भूमि को भूमिहीन व्यक्ति बनकर आंवटन करा लिया जबकि ग्राम शंकरपुरा में छीतर पुत्र किशना बागरिया नाम कोई व्यक्ति नही है। इसलिये भी उक्त आंवटन खारिज किये जाने योग्य है।

5. यह कि अप्रार्थी ने गलत आंवटन आदेश की आड में गैर खातेदारी नामान्तकरकण संख्या 175 दिनांक 20.09.1978 को स्वीकार करवाकर अप्रार्थी सख्या 1 नाम से गैर खातेदारी दर्ज कर दी गयी एवं उक्त गलत आवंटन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये जो कानूनन कतई गलत होने से प्रारम्भ प्रभाव शून्य होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह कि भू आंवटन अधिनियम 1957 के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश कर भूमिहीन व्यक्ति को ही भूमि आंवटित किया जाना आवश्यक है। एवं आवंटन नियमों के अनुसार उक्त आराजीयात पर आवंटित व्यक्ति का काश्त किया जाना भी कानूनन आवश्यक है। परन्तु उक्त आवंटन जिस व्यक्ति के नाम से किया गया है वो भूमि आवंटन के लिये उस नाम का कोई व्यक्ति ही नही है तो उसकी काश्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता । अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पास भूमि होते हुऐ भी अपने पिता की बल्दियत बदलकर फर्जी तरीके से आवंटन करवाया है। चूकि आंवटन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपने पिता की बल्दियत किशना लिखी है एवं भूमिहीन व्यक्ति बताया है। जो कि गलत है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष कागजातों मे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, आदि दस्तावेजों मे जो उसके पिता का नाम रणजीता है एंव उक्त प्रश्नाधीन आवंटन के दिनांक 12.09.1978 को रणजीता के नाम भी भूमि आवंटित हुई है। इसलिए उक्त तथ्य को छिपाते हुऐ धोखे व कपट पूर्वक आवंटन करवाया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

7. यह कि अप्रार्थी संख्या 2 ने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष मिथ्या तथ्य पेश कर आवंटन करवाया है। उक्त गलत आवंटन के आधार पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है एंव मिथ्या तथ्य या धोखे से करवाया गया गलत आवंटन आदेश की अनुपालना में किये गये इन्द्राज को निरस्त फरमाया जाकर उक्त आराजी सिवायचक भूमि दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है।

8. यह कि आवंटनधीन भूमि सभी ग्रामवासियों के सार्वजनिक उपयोग उपभोग के काम आती है जिससे ग्रामवासी अपने पशुओं को चराने के काम मे लेते है। इसलिये उक्त सार्वजनिक उपयोंग उपभोग की भूमि पर ग्रामवासी पशु चराने से मना किया और कहा कि उक्त भूमि पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

मेरी अलोटेड भूमि है। तब जाकर अप्रार्थीगण को उक्त अलोटमेंन्ट की जानकारी हुई। तब प्रार्थीगण ने नकले वगैरह निकलवाकर उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 12.09.1978 बाबत मिसल संख्या 1569 आराजी खसरा संख्या 444 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम शंकरपुरा को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थीगणो को रजिर्स्टड एडी द्वारा नोटिस भेजा गया। एडी0 वाद तामिल प्राप्त हुई। एक माह की समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त अप्रार्थीगण उपस्थित नही होने पर प्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली से सम्बधित मूल रिकार्ड तलब किया गया।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया तथा साक्ष्य हेतु फार्म संख्या 3 के साथ दस्तावेज छाया प्रति 1 नामान्तकरण संख्या 272, 2 नकल प्रति नामान्तकरण संख्या 273, 3 नकल प्रति नामान्तकरण संख्या 173, 4 नकल प्रति पेश की और निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। तथा उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करने के आदेश प्रदान करे।

हमनें पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया तथा मनन करने कर पाया कि पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 2 छीतर पुत्र रणजीता ने अपने आपको छीतर पुत्र किशना बताकर धोखे व कपट से आवंटन कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पिता की बल्दियत बदलकर भूमि को आंवटन करवा लिया है। जबकि ग्राम शंकरपुरा में छीतर पुत्र किशना नाम कोई व्यक्ति नही है, तो उस व्यक्ति का कब्जा होने का प्रश्न ही नही उठता है। अप्रार्थी सख्या 2 छीतर पुत्र रणजीता ने फर्जी तरीके से तथ्य को छिपाते हुऐ अपने आपको छीतर पुत्र किशना बताते हुऐ भूमिहीन व्यक्ति बताकर धोखे से आंवटन करवाया है जो कानूनन गलत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) भू आवंटन अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश है कि आवंटन आदेश दिनांक 12.09.1978 मिसल संख्या 1569 आराजी खसरा संख्या 444 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम शंकरपुरा को निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

राजेन्द्रसिंह शेखावत

अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू